B-III & IV

L- २१

Environment

भारत के संरक्षण क्षेत्र

वन्यजीव, जैविक विविधता, पारिस्थितिक भू-परिदृश्य (वन, अन्य विशिष्ट) के संरक्षण के लिए स्थापित विनियमित क्षेत्र।

वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क (PAN)

↓

राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व।

जैविक विविधता

↓

बायोस्फेयर रिजर्व

पारिस्थितिक भू-परिदृश्य

↓

वन

↓

आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्राम वन।

↓

अन्य

↓

मैंग्रोव वन, आर्द्र भूमि।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

PAN → Wild life Protection Act, 1972

के अंतर्गत प्रावधान

↓

स्थापना, प्रबंधन और संरक्षण उपाय तथा मानव गतिविधियों पर नियंत्रण के सबंध में।

4 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र

↓

① National Park
② वन्यजीव अभयारण्य
③ संरक्षण रिजर्व
④ कम्यूनिटी रिजर्व

वन कार्य योजना की जगह वन्य-जीव संरक्षण कार्य योजना लागू होती है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

स्थापना

- केन्द्र
- राज्य सरकार के द्वारा
  - अधिकांशतः
    - वन-विभाग (वन भूमि)
    - भू-राजस्व विभाग (भू-अधिग्रहण)

स्थापना की प्रक्रिया →

प्रस्ताव - (राज्य / केन्द्र के द्वारा)
↓
NBWL के द्वारा प्रारंभिक मंजूरी → (National Board for Wildlife)
↓
भू-अधिग्रहण
↓
सीमा निर्धारण (कोर एवं बफर)
↓
NBWL की अंतिम मंजूरी
↓
अधिसूचना

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

स्थापना के बाद

केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता

वार्षिक कार्य योजना की NBWL के द्वारा समीक्षा

अपना प्रशासन (CWLW)

↓

राज्य के प्रधान वन्यजीव वार्डन के अधीनस्थ

Wild life Sanctuary (WLS)

मुख्यतः राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित

केन्द्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को सलाह दी जा सकती है।

आरक्षित वन और क्षेत्रीय जलों पर स्थापना नहीं होती (बगैर केन्द्र सरकार की अनुमति के)

Scanned by CamScanner

WLS

स्वतंत्र प्रशासन नहीं होता (वन प्रशासन के अधीनस्थ)

↓

अंतिम नियंत्रण CWLW का

↓

(Chief wildlife warden)

कोर और बफर में विभाजित नहीं

संरक्षण रिजर्व

⇓

- हमेशा किसी National Park या वन्य जीव अभ्यारण्य के बाहर के क्षेत्र।
- आवश्यकता के अनुसार,
- सभी NP और WLS के साथ नहीं।

उद्देश्य →

संरक्षित क्षेत्रों के ठीक बाहर उन मानव गतिविधियों को नियंत्रित करना जिनसे संरक्षित क्षेत्रों के पारिस्थितिक

Scanned by CamScanner

तंत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

वन्य जीवों के लिए आवागमन का कॉरीडोर स्थापित करना।

⇨ संरक्षण रिजर्वों को भी सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर घोषित किया जाता है।

⇨ इनका प्रबंधन स्थानीय समुदाय और वन विभाग के संयुक्त समिति के द्वारा किया जाता है। (यही व्यवस्था सामुदायिक रिजर्व पर भी लागू होती है)।

सामुदायिक रिजर्व →

व्यक्तियों / परिवारों की निजी भूमि पर या फिर गाँव की सामुदायिक भूमि पर इनकी स्थापना की जाती है।

Scanned by CamScanner

इनकी स्थापना के बाद भी भू-स्वामित्व का पैटर्न नहीं बदलता किन्तु इस क्षेत्र का प्रबंधन एक विशेष समिति के अधीनस्थ होता है।

इन क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के लिए कॉरीडोर स्थापित करना है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner